(3)

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–209/2023–24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

निमुन्ती लुगुन वगैरह..................................आवेदक/विक्रेता } प्रथम पक्ष

बहामोन भेंगरा..क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार...द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
03.01.2024	**आदेश**	

आवेदकगण/आवेदिकागण 1. श्री/श्रीमती निमुन्ती लुगुन पिता/पति लोरेंस लुगुन वो 2. श्री/श्रीमती प्रतिभा तोपनो पिता/पति हलन तोपनो दोनों ग्राम–कुंजला, पो0–बिचना, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:–

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा(एकड़ में)
कुंजला	249	35	409	0.10

आवेदकगण/आवेदिकागण के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदकगण/आवेदिकागण 1. श्री/श्रीमती निमुन्ती लुगुन पिता/पति लोरेंस लुगुन वो 2. श्री/श्रीमती प्रतिभा तोपनो पिता/पति हलन तोपनो दोनों का ग्राम–कुंजला, पो0–बिचना, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी को अपनी–अपनी पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती बहामोन भेंगरा पिता/पति जरका भेंगरा ग्राम–कुंजला, पो0–बिचना, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।

आवेदकगण/आवेदिकागण अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान तथा लगान की रसीद 0322413776 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की बिक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 701 दिनांक 23.09.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदकगण/आवेदिकागण की खरीदगी भूमि है। आवेदकगण/आवेदिकागण स्वयं पंजी II

(5)

रैयत हैं। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 7 के पृष्ट सं0 52 पर जमाबंदी दर्ज है।

आवेदकगण/आवेदिकागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदकगण/आवेदिकागण अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु राशि की आवश्यकता हेतु विक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, मुरहू के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है एवं एक ही थाना के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 708 दिनांक 19.04.2023 के साथ अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0– JHCST/2022/132279 दिनांक 18.04.2022 एवं आवासीय प्रमाण पत्र सं0– JHLRCO/2022/211045 दिनांक 11.04.2020 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदित भूमि की विक्री हेतु अनुशंसा किया हैं।

अतः अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 701 दिनांक 23.09.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदकगण/आवेदिकागण 1. श्री/श्रीमती निमुन्ती लुगुन पिता/पति लोरेंस लुगुन वो 2. श्री/श्रीमती प्रतिभा तोपनो पिता/पति हलन तोपनो दोनों ग्राम–कुंजला, पो0–बिचना, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती बहामोन भेंगरा पिता/पति जरका भेंगरा ग्राम–कुंजला, पो0–बिचना, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी के साथ ग्राम कुंजला के खाता सं0 35, खेसरा संख्या 409, कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by ARVIND KUMAR OJHA
Date: 2024.02.07 13:44:26 +05:30
Location: 192.168.1.103